न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

ग्यारसी देवी वगै./ अजय वगै.

प्र.सं. 150/2025

10/12/25

वादी वकील द्वारा पत्रावली शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना–पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार पाटन से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। वकुलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार पाटन से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकुलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:20 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. ग्यारसी देवी पुत्री चिरंजी जाति माली निवासी ढाणी सापाला तन घसीपुरा तहसील पाटन जिला सीकर।

–वादीगण–

बनाम

1. अजय पुत्र अर्जुन लाल जाति माली निवासी ढाणी सापाला तन घसीपुरा तहसील पाटन जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर– 150/2025

दावा तकासमा स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री विष्णुदत्त शर्मा एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू एवं हाजरी श्री चरणसिंह एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज.................×.........................मुबलिग....................×.........................बाबत.................×......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×.....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......................×..............................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 10 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:43:20 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।